...ोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र ...मार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. रा. अधि. ...र्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड ...मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

...5/7/2024 वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15/7/2024 को पेश हो।

...5/07/2024 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। पत्रावली बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी थी। पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय ...ज द्वारा ग्राम आगवाड़ी के भूमि खसरा नम्बर ...4 रकबा 0.33 हैक्टे. जिसके नये खसरा नम्बर ...6 रकबा 0.33 हैक्टे. में से अपना 2/3 हिस्सा ...म्पूर्ण का विक्रय किया गया होना पाया जाता ... नामान्तरकरण संख्या 139 विक्रय पत्र के ...नुसार सही भरा जाकर तसदीक किया गया है ...हलुत जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में क्रेता ...के नाम व हिस्सा सही दर्ज किया गया है।

(राजवीर सिंह यादव)
... अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:06:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत् 2069-2075 की जमाबन्दी में क्रेता के नाम से सम्पूर्ण भूमि का 2/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो लिपिकीय त्रुटि के कारण से हुआ है इन्ही तथ्यो की पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से भी हो रही है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT के अन्तर्गत होना पाया जाता है। जो स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीम काथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आगवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 139 व जमाबन्दी सम्वत् 2056-59 में अंकित नोट के अनुसार राजस्व ग्राम आगवाड़ी के भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.33 हैक्टेयर में हनुमान पुत्र भागाराम हिस्सा 2/3, फुलाराम पि. भगवाना हिस्सा 1/6, रामेश्वर पि. भगवाना हिस्सा 1/6, एंव खसरा नम्बर 98 रकबा 0.66 है. में सुरेश, लालचन्द पि. गोकुल हिस्सा 2/3, फुलाराम पि. भगवाना हिस्सा 1/6, रामेश्वर पि. भगवाना हिस्सा 1/6 जाति अहीर शुद्ध दर्ज किया जावें। आदेश की पालना मे तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:06:02 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner